हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में कोविड19 टेस्टिंग के नाम पर खुली लूट

- डीजी स्वास्थ्य विभाग के आदेश को ताक पर रखा, सभी सिविल सर्जन लापरवाह बने।
- फरीदाबाद के आरसीएच एफआरयू में रैपिड टेस्ट 650 का, आरटी पीसीआर टेस्टिंग 1600 रुपये में।
- खट्टर सरकार का दावा - राज्य में हर मरीज पर 26,355 रुपये खर्च किए गए...फिर कहां गए पैसे।
- प्राइवेट अस्पतालों में भी लूट जारी, सरकार ने उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए नियम बदले।

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: हरियाणा के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कोविड 19 टेस्टिंग के नाम पर खुली लूट मच गई है। इस संबंध में हरियाणा सरकार के आदेश को ताक पर रख दिया गया है। सरकारी आदेश है कि मेडिकल ग्राउंड पर कोविड 19 टेस्टिंग का कोई भी पैसा सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र नहीं लेंगे, सिर्फ गैर मेडिकल जरूरतों के लिए ही कराए जाने वाले टेस्ट के पैसे लगेंगे। लेकिन फरीदाबाद समेत राज्य के सारे सरकारी अस्पताल धड़ल्ले से वसूली कर रहे हैं।

केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने बुधवार को कोरोना काबू करने में राज्यों के हालात पर विचार किया और हरियाणा की थोड़ी सी तारीफ कर दी। इसके बाद पूरी हरियाणा सरकार कोविड 19 काबू करने में अपनी पीठ ठोंकने में जुट गई। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट है, जिसकी जानकारी न तो केंद्रीय गृह सचिव भल्ला को है और न चंडीगढ़ से हरियाणा सरकार चलाने वाले अफसरों को है। हरियाणा में कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा करीब दो हजार प्रतिदिन पर जा पहुंचा है। जिसे संभाल पाने में सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल नाकाम हो रहे हैं। यह स्थिति तब है जब कोरोना के मरीजों को सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में लूटा जा रहा है।

मुफ्त नहीं, सबसे महंगी टेस्टिंग

हरियाणा में प्राइवेट लैब और अस्पताल कोविड 19 टेस्ट की मनमानी फीस तो वसूल ही रहे हैं लेकिन खुद हरियाणा सरकार ने अपनी टेस्टिंग फीस महंगी कर दी है। हालांकि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने इस सिलसिले में 18 सितंबर को जो आदेश जारी किया है और जिसकी कॉपी मजदूर मोर्चा के पास उपलब्ध है, उसका सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। 18 सितंबर के आदेश में साफ लिखा है कि ऐसे लोग जिन्हें विदेश या देश में कही जाना है उनका कोविड टेस्ट या नौकरी में कहीं कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जमा करानी है, या जिन्हें कहीं कॉलेज-यूनिवर्सिटी-संस्थान में एडमिशन लेने के लिए कोविड 19 टेस्ट की जरूरत पड़ती है, ऐसे लोगों से आरटी पीसीआर टेस्टिंग के 1600 रुपये, रैपिड एंटीजन टेस्ट 650 रुपये और इलिसा टेस्टिंग के 250 रुपये लगेंगे। इसी आदेश में यह भी साफ किया गया है कि अगर कोई मेडिकल कारणों से कोविड 19 टेस्ट सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रो पर कराता है तो उसके कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे।

फरीदाबाद सेक्टर 30 स्थित सरकारी आरसीएच एफआरयू अस्पताल में कोरोना का रैपिड टेस्ट करने के बदले 650 रुपये लिए जा रहे हैं। अधिकांश लोग इस सरकारी अस्पताल में मुफ्त टेस्ट कराने के लिए जाते हैं लेकिन जब वे लाइन में लगते हैं तो उनकी पर्ची काट दी जाती है। धुर्वेंद्र कुमार के साथ ऐसा ही हुआ। वह लाइन में लगे तो रैपिड एंटीजन टेस्ट के 650 रुपये उनसे लिए गए। जबकि वह मेडिकल

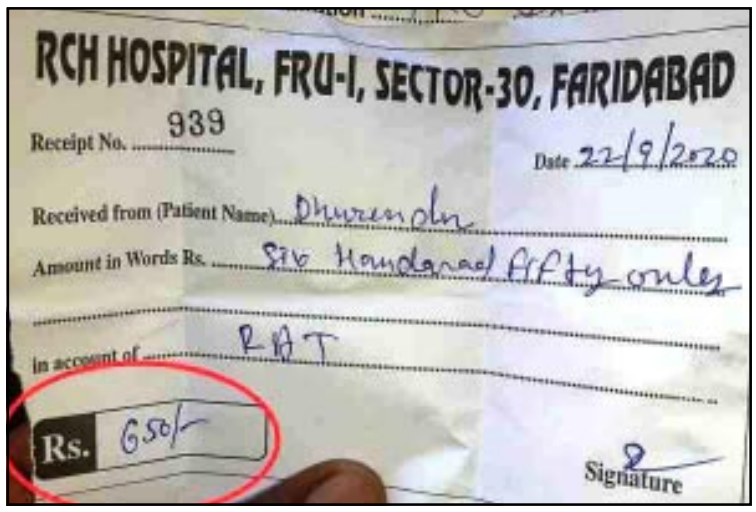
RCH HOSPITAL, FRU-I, SECTOR-30, FARIDABAD
Receipt No. 939
Date 22/9/2020
Received from (Patient Name) Dhurendra
Amount in Words Rs. Six Hundred Fifty only
in account of RAT
Rs. 650/-
Signature

आधार पर अपना टेस्ट कराने गए थे। बाद में उन्हें पछतावा हुआ कि जब इतने ज्यादा पैसे देकर टेस्ट कराना है तो प्राइवेट में साफ सुथरा टेस्ट करा लेते।

यह गहन जांच का विषय है कि हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में यह खुली लूट किसके इशारे पर चल रही है। डीजी हेल्थ हरियाणा का यह आदेश 18 सितंबर को सभी जिलों के सिविल सर्जन और खुद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के दफ्तर को भेजा गया है।

झूठ बोल रही है खट्टर सरकार

एक आरटीआई के जरिए हरियाणा सरकार से पूछा गया था कि प्रदेश में कोरोना के मरीजों के इलाज पर कितना खर्च किया गया और प्रति मरीज कितना खर्च आया है। हरियाणा सरकार ने जवाब में बताया कि प्रदेश में कोरोना इलाज पर 345 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं, जो प्रति मरीज 26,355 रुपये बनते हैं। मजदूर मोर्चा के जो पाठक इस खबर को पढ़ रहे होंगे, कृपया वे बतायें कि उनका कोई रिश्तेदार या वे खुद कोरोना की वजह से किसी सरकारी अस्पताल या सेंटर में भर्ती हुए हैं तो क्या उनके इलाज पर वाकई 26,355 रुपये खर्च किए गए। अगर एक भी पाठक ने सरकार के आंकड़े को सही बताया तो मजदूर मोर्चा क्षमा याचना सहित अगले अंक में इस रिपोर्ट को वापस ले लेगा। आरटीआई के जरिए यह मामला सामने आने के बाद हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने घोटाले का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि 345 करोड़ रुपये राज्य में कोरोना पर खर्च करने का मामला बड़ा घोटाला लग रहा है। शैलजा का कहना है कि हरियाणा को कोरोना रिलीफ फंड में 302 करोड़ रुपये मिले हैं लेकिन खट्टर सरकार ने इसमें से सिर्फ 104 करोड़ रुपये ही जारी किए हैं। बहुत स्पष्ट है कि हरियाणा में कोरोना इलाज के नाम पर कुप्रबंधन हुआ है। राज्य में 1200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अगर खट्टर सरकार का प्रबंध अच्छा होता तो शायद इतनी मौतें नहीं होतीं।

प्राइवेट अस्पताल भी लूट में पीछे नहीं

हरियाणा सरकार से सस्ती जमीन लेकर बड़े बड़े अस्पताल खड़े करने वाले भी जनता को खुलेआम लूट रहे हैं। फरीदाबाद-गुड़गांव के फाइव स्टार अस्पतालों को तो लूट का प्रमाणपत्र मिला हुआ लेकिन फरीदाबाद के सर्वोदय जैसे मझोले प्राइवेट अस्पताल भी लूट में पीछे नहीं हैं। फरीदाबाद के फोर्टिस और एशियन अस्पताल ने बाकायदा होटल के मैन्यू कार्ड की तरह अपनी रेटलिस्ट जारी कर दी थी, जिसमें एक दिन का कोरोना इलाज का खर्च पांच लाख रुपये तक बताया गया था। लेकिन जब शोर मचा तो हरियाणा सरकार ने जून में एक आदेश जारी कर हर प्राइवेट अस्पताल को निर्देश दिया कि वह 8,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये प्रतिदिन ही कोरोना के मरीज से वसूल सकता है। लेकिन किसी भी बड़े या छोटे प्राइवेट अस्पताल ने इस सरकारी आदेश को नहीं माना। लेकिन बदमाशी देखिए कि इन प्राइवेट अस्पतालों के दबाव पर हरियाणा सरकार ने 18 सितम्बर को नया आदेश जारी किया है कि सिर्फ हरियाणा में रहने वाले लोगों से ही 8000 से लेकर 18000 रुपये प्रतिदिन इलाज का खर्च लिया जाएगा। लेकिन दूसरे राज्यों से आने वाले मरीजों से प्राइवेट अस्पताल अपने हिसाब से पैसा वसूल कर सकते हैं। यानी

बीके अस्पताल में ऐसे हो रही है टेस्टिंग

फरीदाबाद के एशियन या गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में अगर कोई यूपी-बिहार से कोरोना का इलाज कराने आता है तो उस मरीज पर 8000-18000 रुपये प्रतिदिन का मामला लागू नहीं होगा, अस्पताल उससे कितना भी पैसा मांग सकते हैं।

केंद्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय की पूर्व सचिव के. सुजाता राव ने हरियाणा सरकार के इस आदेश पर सख्त ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि यह आदेश सरासर गलत है। यह क्या बात हुई कि हरियाणा के मरीज से प्रतिदिन के इलाज का अलग पैसा और दूसरे राज्यों से आने वाले मरीज के प्रतिदिन इलाज का अलग पैसा। लगता है कि हरियाणा सरकार ने यह फैसला प्राइवेट अस्पतालों के दबाव पर लिया है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मरीज को लोकल या बाहर के तौर पर इलाज का अलग तरह का खर्च उठाना पड़े।

From

Director General Health Services, Haryana

To

All the Civil Surgeons, Haryana State

Memo No. 3PM(COVID)/2020/20525-46 **Dated: 18/09/2020**

Subject: **Designation of separate place/ center/ area for COIVD-19 testing on demand (for non-medical reasons).**

*****

In reference to the subject cited above,

It is hereby directed to ensure designation of a separate place/ centre/ area for COVID-19 testing for individuals, who wish to get themselves tested for COVID-19 due to non-medical reasons, such as international/ interstate travel, requirement for employment purposes, admissions in educational institutions, etc. so to decrease the risk of spread of infection to such individuals.

In this regard, it is intimated that as per the decision of State Government, this facility would be made available to such individuals on payment basis, as per the rates given below:

Sr. No.	Type of COVID-19 testing	Rates per test
1.	RT PCR Testing	Rs. 1600
2.	Rapid Antigen Testing	Rs. 650
3.	IgG based ELISA Testing	Rs. 250

It is clarified that any person requiring COVID testing for medical reasons shall be not charged anything at any Government health facility.

You are, therefore, requested to send compliance report regarding designation of separate places for COVID testing.

Director General Health Services, Haryana

Endst. No. 3PM(COVID)/2020/20547-63 **Dated: 18/09/2020**

A Copy is forwarded to the following for kind information:

1. PS/ Hon'ble Health Minister, Haryana
2. PS/ ACS Health
3. MD HMSCL
4. MD NHM
5. All Directors Health Services

18.9.2020

Director General Health Services, Haryana

हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने अपने इस आदेश में साफ कहा है कि कोरोना टेस्टिंग की फीस किनसे ली जायेगी और किनसे नहीं।

खबर मरम्मत

जुम्मन मियां पंक्चर वाले

जज अरुण मिश्रा का एक और न्याय

सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च 2006 को दिल्ली में अवैध निर्माण के बारे में एक मॉनिटरिंग कमेटी गणित की थी जिस में के.जे.राव, प्राधिकरण के भूरेलाल व मेजर जनरल एसपी झिंगन सदस्य हैं। कमेटी ने दिल्ली में अनेकों अवैध निर्माणों को सील किया, नोटिस जारी किये और कुछ निर्माणों को उनके द्वारा पहचानने पर म्युनिसिपल कार्पोरेशन ने ढहा भी दिया। यह कार्यवाई अनेकों साल से चल रही थी। दिल्ली में इसके खिलाफ़ व्यापारियों ने खूब हगामा किया, बड़ी-बड़ी रैलियां निकाली, केन्द्र और दिल्ली सरकार को चुनावों में हराने की भी धमकी दी। लेकिन कई साल से चल रही ये कार्यवाई न रूकी और न सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रोका टोकी की। अब 14 अगस्त के अपने एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी की सीलिंग और नोटिस के काम को अवैध करार देते हुये सभी सीलबंद प्रापर्टीयों की सील खोलने के आदेश दे दिया।

बड़े विस्मय की बात है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक कमेटी कई सालों से अवैध काम करती रही और सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेशों की ऐसी-तैसी होते देखता रहा। अप्रैल 2019 में कमेटी द्वारा अपनी इन कार्यवाईयों की रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपे जाने के बाद भी कोर्ट लगभग डेढ साल चुप रहा। अब कह रहा है कि कमेटी ने हमारे आदेश से बाहर जाकर काम किया। तो फिर इतने साल चुप क्यों रहे 'मीलार्ड'-पैसे पहुंचने में देर हो गई या फ़िर ऊपर के आकाओं के निर्देश देर से मिले। वैसे यह मुकदमा उसी बेंच में लगा था जिसमें प्रशांत भूषण का अवमानना का केस या-माननीय अरूण मिश्रा जी की कोर्ट में। अब तो किसी को अरूण मिश्रा जी के न्याय में कोई शक नहीं होना चाहिए।

अमीरों को दान गरीबों का बलिदान

सरकारी स्कूलों में सरकारी यानी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों द्वारा निर्मित शौचालयों के एक आडिट में कैग ने पाया है कि इनमें से 72 प्रतिशत में पानी की व्यवस्था नहीं है जबकि 75 प्रतिशत में उचित साफ़-सफ़ाई नहीं थी। 30 प्रतिशत शौचालय तो टूटे होने या अन्य कारणों से बंद ही पाये गये। सरकार ने 2014 में सरकारी कंपनियों को 2014 में 1.40 लाख शौचालय बनाने का और उन्हें उनका तीन से पांच साल तक रख-रखाव करना था। इसके लिये कंपनियां सीएसआर फंड में से पैसा खर्च कर सकती थी।

मोदी के प्राइवेट फंड 'पीएम केयर्स' में तुरन्त फुरन्त करोड़ों रुपया चन्दा देने वाली कंपनियां अपने ही बनाये दो-चार शौचालयों की भी चालू नहीं रख सकी। मोदी की चापलूसी की इस दौड़ में हम इतना नीचे गिर चुके हैं कि गरीबों की मदद का कोई विचार भी हमारे विभागों में नहीं ठहरता।

हरिवंश का 'दयालु' दिल

राज्यसभा में रविवार को पेश किसान सम्बन्धी तीन बिलों पर विपक्षी सदस्यों की मांग के बावजूद वोटिंग नहीं करवाई गई और सिर्फ़ ध्यनिमत से ये बिल पास कर दिये गये। लोकसभा के नये बने डिप्टी स्पीकर रविंश उस वक्त अध्यक्षता कर रहे थे। उन द्वारा नियमों की ऐसी खुली उल्लंघना पर विपक्षी सांसदों ने जोरदार विरोध किया। उनमें से आठ सदस्य वहीं बाहर धरने पर बैठ गये और सारी रात बैठे रहे। अगले दिन हरिवंश जी उनके लिये अपने घर से चाय बनवा कर लेकर गये और उन्होंने विपक्षी सदस्यों द्वारा उनके साथ किये गये तथाकथित दुर्व्यवहार के खिलाफ़ एक दिन का उपवास किया।

हालांकि हरिवंश जी ने ये स्पष्टीकरण बिल्कुल नहीं दिया कि उन्होंने उन बिलों पर वोटिंग क्यों नहीं करवाई जबकि नियमों और परम्पराओं के अनुसार एक भी सदस्य के मांग करने पर वोटिंग करवाना जरूरी है। पर नियमों परम्पराओं, न्याय और जमीर की चिन्ता करने वाले व्यक्ति होते तो मोदी जी उनको राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर बनाते। पर दयालु ह्दय हरिवंश को नियमों की परवाह हो न हो सदस्यों की चिन्ता जरूरी थी।

अंतिम मिसरा

जब रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था।
आजकल नीरो मोर नचाता है, फिटनेस के गुरु बताता है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06